

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान पुष्पलाल बनाम मांगी लाल
 किस्म मुकदमा धारा-223 मि.नं. 2020/00054 सन
 अभिभाषक अपीलान्त गोविन्द नामदेव अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट नरेश गुप्ता
R-1 to 7

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
30-10-23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07-11-23 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	07-11-23
07-11-23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-12-23 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	11-12-23
11-12-23	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त गण एवं उनके अभिभाषक को रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगावाई गईं। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्त पूर्व में भी तारीख पेशी दिनांक 10-07-23, 07-08-23, 29-08-23, 03-10-23, 10-10-23 को भी अनुपस्थित रहे। अतः बार-बार अभिभाषक अपीलान्त के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली पेश होकर बाद तामील तकमील दारबिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी एवं अदम पैरवी



श्री प्रकाश जी नरपुत्र, इलाहाबाद
पुत्र की जाति का प्रमाण पत्र
इसके लिए



जीवनम सचिव गुजरात
न्यायालय मुंबई अधिकांश एवं
राजस्व अधिकांश

एवम पदेन राजस्व अपील प्राधिकरण कोटा राज0

कोटा (राज0)
10/2/2020 अपील क्रमांक- /2020

- 1-प्रभूलाल आयु-65 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 2-बाबूलाल उम्र-60 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 3-हीरालाल उम्र-55 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 4-रामचरण उम्र-50 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 5-बृजमोहन उम्र-45 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 6-लक्ष्मीनारायण आयु-40 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 7-माणकचंद उम्र-35 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार
- 8-सावित्री बाई उर्फ चाहनाबाई उम्र-30 वर्ष पुत्री श्री गोरिया जाति चमार
- 9-गायत्री बाई उम्र-33 वर्ष पुत्र श्री गोरिया जाति चमार

निवासीगण चाचौडा तहसील छबडा जिला बांरा राज0

-अपीलाण्टगण

-बनाम-

- 1-मांगीलाल आयु-63 वर्ष पुत्र लालजी जाति चमार
- 2-रामकल्याण आयु-55 वर्ष पुत्र लालजी जाति चमार
- 3-बाबूलाल आयु-50 वर्ष पुत्र लालजी जाति चमार
- 4-भूली बाई उम्र-60 वर्ष पुत्री लालजी जाति चमार
- 5-अमरी बाई उम्र-45 वर्ष पुत्री लालजी जाति चमार
- 6-बद्रीबाई उम्र-40 वर्ष पुत्री लालजी जाति चमार

शाम चरण

✓ 7-रामनाथी बाई उम्र-35 वर्ष पुत्री लालजी जाति चमार

निवासीगण चाचौडा तहसील छबडा जिला बांरा राज0

8-राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बांरा राज0

✓ 9-उप पंजीयन अधिकारी छबडा तहसील छबडा जिला बांरा राज0

-रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत आदेश-41 रूल-1 जाब्ता दीवानी

बनाराजगी आदेश एवम निर्णय दिनांक-16-10-2019

की अप्रसन्नता से बमुकदमा प्रभूलाल बनाम मांगीलाल वगैरह

प्रकरण संख्या-191/2014, न्यायालय उप जिला कलेक्टर,

छबडा जिला बांरा

मान्यवर,

अपीलाण्टगण निम्न कारणो से अपील पेश करते है

संक्षिप्त तथ्य-

कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड छबडा के न्यायालय में अपीलाण्टस वादीगण की और से एक वाद अन्तर्गत धारा-88, 89, 91 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया कि वाकै माल खोखई तहसील छबडा में स्थित आराजी 19 बीघा 1 बिस्वा में 1/2 हिस्से का लालजी के पक्ष में तस्दीक किया गया इन्तकाल एवम उसके आधार पर लालजी के 1/2 हिस्से पर रेस्पोंडेन्ट नम्बर-1 ता-7 प्रतिवादी को हिस्सा 1/2 पर खातेदारी अधिकारो को अवैध, प्रभावशून्य घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान करने तथा 1/2 हिस्से से रेस्पोंडेन्ट नम्बर-1 लगायत-7 का नाम खारिज करने तथा सम्पूर्ण आराजी को अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की डिक्री प्रदान करने एवम स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने हेतु पेश किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद में जवाबदावा पेश किये बिना ही एक आवेदन-

शम चरौ